Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 1-2026] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 6 जनवरी, 2026
(16 पौष, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 2/के०अ० 46/2023/धा० 2/2026, दिनांक 5 जनवरी, 2026– हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 92/के०अ० 2/1974/धा० 2/2018, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 का विखण्डन करने बारे।	3–4
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 3/के०अ० 46/2023/धा० 2/2026, दिनांक 5 जनवरी, 2026– हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या 668/सी–2, दिनांक 18.01.1994 में संशोधन करने बारे।	5–12
	3. अधिसूचना संख्या का०आ० 4/के०अ० 46/2023/धा० 2/2026, दिनांक 5 जनवरी, 2026– नया पुलिस थाना, मॉडल टाउन, पानीपत के सृजन बारे।	13–18
भाग IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग-III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जनवरी, 2026

संख्या का०आ० 2/के०अ० 46/2023/धा० 2/2026.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (प) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 92/के0अ0 2/1974/धा0 2/2018, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 का विखण्डन करते हैं।

डॉ० सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 5th January, 2026

No. S.O. 2/C.A. 46/2023/S. 2/2026.— In exercise of the powers conferred by clause (u) of sub-section (1) of section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023 (Central Act 46 of 2023), the Governor of Haryana hereby rescind the Haryana Government, Home Department notification No. S.O. 92/ C.A.2/1974/S.2/2018, dated 21st December, 2018.

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

12324—C.S.—H.G.P., Pkl.